अध्याय V : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय

5.1 भूमि की खरीद पर निधियों का अवरोधन

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय ने अपने नए परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जनवरी 1988 से मार्च 1992 के दौरान ₹ 1.95 करोड़ का व्यय किया। तथापि, भूमि का सीमांकन भी नही किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 20 वर्षों से अधिक के लिए निधियां अवरूद्ध रहीं।

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (यो.वा.वि.), जो 8.8.1979 में मानित विश्वविद्यालय घोषित, एकड़ के क्षेत्र को आवृत्त करते हुए दिल्ली में तीन विभिन्न स्थानों[1] से कार्यकलापों को करता है।

यो.वा.वि. ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के समक्ष 50 एकड़ की भूमि आवश्यकता का प्रस्ताव रखा (फरवरी 1983)। दि.वि.प्रा. ने यो.वा.वि. को एक वर्ष के भूमि के किराए सहित सतत पट्टाधृत आधार पर ₹ 1.64 करोड़ में वसंत कुंज में नए परिसर के निर्माण हेतु 20 एकड़ भूखंड को आंवटित करने का निर्णय लिया (नवम्बर 1987)। दिसम्बर 1987 में मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया था।

यो.वा.वि. ने जनवरी 1988 में दि.वि.प्रा. को ₹ 1.64 करोड़ का भुगतान किया। तथापि, दि.वि.प्रा. द्वारा स्थल में बदलाव के कारण, यो.वा.वि. ने मार्च 1992 में दि.वि.प्रा. को भूखंड के प्रीमियम में अंतर के प्रति ₹ 30.75 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया तथा केवल आरेखणों के अनुसार प्लॉट का अधिग्रहण (जून 1992)लिया।

आबंटन पत्र में यह नियत किया गया था कि, यो.वा.वि. को अतिक्रमण से बचने के लिए अधिग्रहण प्राप्त होने पर तुरंत भूखंड पर चारदीवारी कर लेनी चाहिए और इसके अतिरिक्त अधिग्रहण दिए जाने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर निर्माण पूरा करना होगा। तथापि, सीमांकन तथा चारदीवारी की अनुपस्थिति में मैसर्ज यूनीसन होटल्स लिमिटेड ने अपने होटल के निर्माण के दौरान खोदी गई मिट्टी को प्लॉट पर फैंक कर अतिक्रमण किया था। यो.वा.वि. ने इस कारण मैसर्ज यूनीसन से क्षतिपूर्ति का दावा (1998) किया था तथा मामले पर मुकदमा चल रहा है।

---

[1] 3.7 एकड़ के इंद्रप्रस्थ परिसर क्षेत्र में दो भवनों में शैक्षणिक, शिक्षण और छात्रावास तथा 5.1 एकड़ के क्षेत्र के साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में छात्रावास एवं आवासीय सुविधा।

आबंटित प्लॉट के पुर्न-सीमांकन के उठने वाले मुद्दे के समाधान हेतु दि.वि.प्रा. के साथ बैठक की गई थी (अप्रैल 2003) जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि यो.वा.वि. वास्तविक सीमाओं का सर्वेक्षण करेगा तथा उसे दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत करेगा। यो.वा.वि. ने एक सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण संचालित करवाया और सर्वेक्षण रिपोर्ट को 29 मार्च 2004 को दि.वि.प्रा. को जमीन के मुद्दे को प्राथमिकता आधार पर सुलझाने के निवेदन के साथ भेजा।

तत्पश्चात, दि.वि.प्रा. (मई 2010) ने जमा कार्य के रूप में आबंटित भूमि का पुर्न-सीमांकन करने के लिए ₹ 1.47 लाख की अतिरिक्त मांग की और राशि का भुगतान यो.वा.वि. द्वारा कर दिया गया था। प्लॉट का पुर्न-सीमांकन नहीं किया जा सका क्योंकि भूमिक्षेत्र में विभिन्नताएं थी जिन पर दि.वि.प्रा. द्वारा निर्णय लिया जाना अभी बाकी था।

इस प्रकार, चारदीवारी लगाने के लिए कार्रवाई करने में विलम्ब तथा प्लॉट के पुर्न-सीमांकन के लिए अपर्याप्त अनुसरण करने के परिणामस्वरूप दि.वि.प्रा. को जनवरी 1988 से मार्च 1992 की अवधि के दौरान जारी किए गए ₹ 1.95 करोड़ 20 वर्षों से अधिक के लिए अवरूद्ध रहे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि यो.वा.वि. की विस्तार योजना प्रतिकूल रूप से प्राभावित हुई है।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि केवल प्लॉट के आयामों के पुर्न-सीमांकन की गतिविधियों के कारण निर्माण गतिविधियों में विलंब हुआ था। जिसके परिणामस्वरूप, वह प्लॉट पर चारदीवारी नहीं लगा पाए। यो.वा.वि. प्लॉट के सीमांकन हेतु दि.वि.प्रा. के साथ मुद्दे का अनुसरण कर रहा था।

5.2 अनियोजित खरीद के कारण जिससे सू.प्रौ. उपकरण बेकार पड़े रहे

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय ने ₹ 66.21 लाख की लागत पर कम्प्यूटर एवं सू.प्रौ.उपकरणों का प्रापण अनियोजित ढंग से किया जिसके कारण वे अप्रयुक्त पड़े रहे।

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (यो.वा.वि.) के विश्लेषण एवं प्रणाली केन्द्र (वि.प्र.के.) के विभागाध्यक्ष ने संस्थान के विभिन्न विभागों[2] के लिए 385 कम्प्यूटरों, पेरीफेरल, एवं सर्वरों के क्रय का प्रस्ताव किया। अधिक मात्रा में प्रापण का प्रस्ताव स्टूडियो में संगणकीय क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया था। इसके बाद क्रय समिति की

[2] वास्तुकला विभाग- 245, योजना विभाग-90, विश्लेषण एवं प्रणाली केन्द्र -30 और जी.आई.एस.-20

सिफारिश पर यो.वा.वि. के निदेशक ने 385 कम्प्यूटर पेरीफेरल एवं सर्वरों के प्रापण का अनुमोदन किया। (जनवरी 2010)।

यह क्रय आ.नि.म[3] के माध्यम से किया गया था, जिसके लिए फरवरी 2010 और मार्च 2010 के दौरान ₹ 3.17 करोड़ का भुगतान किया गया। उपकरण तथा सॉफ्टवेयर मार्च 2010 से जून 2010 के दौरान प्राप्त हुए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यो.वा.वि. इन उपकरणों के संस्थान हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान कराने में विफल रहा। जिसके परिणामस्वरूप 286 उपकरणों के संस्थापन में काफी देरी हुई।

संस्थापन में विलम्ब	कम्प्यूटरों की संख्या
12 से 18 माह	153
18 से 24 माह	25
24 माह से अधिक	87
संस्थापित न हुए (मार्च 2013 तक)	21

लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए जाने पर यो.वा.वि. ने 28 माह के विलम्ब के बाद 87 कम्प्यूटर संस्थापित किए (अक्तूबर 2012)। तथापि ₹ 18.08 लाख मूल्य की 21 मशीनें मार्च 2013 तक संस्थापित नहीं की गई थीं। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि यो.वा.वि. ने ₹ 51.05 लाख मूल्य के 70 कम्प्यूटरों को स्टूडियों के बजाय अन्य स्थानों अर्थात, कार्यालय, पुस्तकालय, अन्य विभाग/अनुभाग, इत्यादि में भेज दिया। दो वर्षों से अधिक तक सू.प्रौ. उपकरण अप्रयुक्त पड़े रहने के परिणामस्वरूप उपकरण के साथ प्रदान की गई एक वर्ष की वारण्टी अवधि भी समाप्त हो गई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि यो.वा.वि., आ.नि.म. के माध्यम से प्रापण पर शिक्षा उपभोक्ता को अनुमत अत्पाद शुल्क से छूट के रूप में अनुमत पाँच प्रतिशत अर्थात ₹ 10.52 लाख की छूट का लाभ में विफल रहा। यो.वा.वि. भारत सरकार के वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा अपने को पंजीकृत कराया था, जो छूट प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त थी।

यो.वा.वि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि कम्प्यूटर तथा संबंधित उपकरणों को अधिष्ठापन स्थल और विद्युत कनेक्शन न होने के कारण संस्थापित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, यो.वा.वि. ने बताया कि कम्प्यूटरों को संस्थापित करने के लिए

[3] आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय आपूर्ति विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार का केन्द्रीय क्रय एवं गुणवत्ता आश्वासन संगठन।

स्थान तैयार करने में देरी हुई क्योंकि कम्प्यूटर प्रयोगशाला का कार्य सत्र के मध्य में आरंभ नहीं हो सकता था तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान न हो। मंत्रालय ने संस्थान के उत्तर का समर्थन किया (मार्च 2013)।

यो.वा.वि. के उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रापण की योजना प्रभावी ढ़ंग से तैयार नहीं की गई थी जो सू.प्रौ. उपकरण के दो वर्षों से अधिक समय तक व्यर्थ पड़े रहने का कारण बनी।

5.3 संकाय सदस्यों द्वारा कंप्यूटरों तथा पेरीफेरल की खरीद की प्रतिपूर्ति हेतु संचित व्यवसायकि विकास भत्ते का अनियमित उपयोग- ₹ 1.52 करोड़

मौ.आ.रा.प्रौ.सं., भोपाल ने 2009-12 के दौरान संचित व्यवसायिक विकास भत्ता (सं.व्य.वि.भ.) के अंतर्गत कंप्यूटरों तथा परीफेरल के प्रापण हेतु अपने संकाय सदस्यों को ₹ 1.52 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जो कि अनियमित थी, क्योंकि इस प्रकृति के व्यय सं.व्य.वि.भ. के अंतर्गत शामिल नहीं थे।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन का अनुपालन करते हुए केन्द्रीय रूप से वित्तपोषी तकनीकी संस्थानों के शिक्षण तथा अन्य स्टाफ की वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों का संशोधन करते समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.,) ने पत्र दिनांक 18.08.2009 के माध्यम से 'अन्य सेवा शर्तों' के अंतर्गत एक संघटक नामतः संचित व्यावसायिक विकास भत्ता (सं.व्य.वि.भ.) को प्रारंभ किया था। प्रत्येक तीन वर्षों की समुचित अवधि के लिए ₹ 3 लाख (₹ एक लाख प्रति वर्ष) का सं.व्य.वि. भत्ता दोनो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने हेतु व्यय को पूरा करने, विभिन्न व्यवसायिक निकायों के सदस्यता शुल्क तथा आकस्मिक व्यय अदा करने के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर प्रत्येक संकाय सदस्य को उपलब्ध था।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल (मौ.आ.रा.प्रौ.सं.) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि अगस्त 2009 से मार्च 2012 के दौरान, सं.व्य.वि.भ. के लिए मौ.आ.रा.प्रौ.सं. द्वारा व्यय किए गए ₹ 2.94 करोड़ में से ₹ 1.52 करोड़ (52 *प्रतिशत*) की सं.व्य.वि.भ. के 'आकस्मिक व्ययों' के अंतर्गत ऐसी प्रतिपूर्ति को शामिल करते हुए कंप्यूटरों तथा पेरीफेरल की खरीद हेतु प्रतिपूर्ति की गई थी।

इंगित किए जाने पर, मौ.आ.रा.प्रौ.सं. ने यह बताते हुए कार्य को उचित ठहराया (जनवरी 2013) कि लैपटॉप एक परस्पर संवादात्मक मीडिया पुस्तिका है जो इलैक्ट्रॉनिक रूप से पुस्तक लिखने, शिक्षण तथा दस्तावेज प्रस्तुतीकरण की सुविधा प्रदान करती है तथा इसलिए इसे सं.व्य.वि.भ. के अंतर्गत लिया गया था। इसने आगे बताया कि मामले को 09.11.2012 को हुई अध्यक्ष मंडल (अ.मं.) की 29वीं बैठक में प्रस्तुत

किया गया था तथा अ.मं. ने निर्देश दिया कि सं.व्य.वि.भ. के अंतर्गत खरीदी गई सभी परिसंपत्ति मदों को संस्थान की परिसंपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए। इसने यह भी बताया कि आवश्यक प्रविष्टियां वर्तमान वित्तीय वर्ष में पारित की जाएंगी तथा परिसंपत्तियों को तुलन-पत्र में दर्शाया जाएगा।

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर, विभिन्न व्यवसायिक निकायों का सदस्यता शुल्क तथा आकस्मिक व्ययों को अदा करने के माध्यम से संकाय के व्यावसायिक विकास की योजना का कंप्यूटरों/पेरीफेरल की खरीद की प्रतिपूर्ति हेतु ऐसा विरूपण अनियमित था। इसके अतिरिक्त हमारी राय में, एक विशिष्ट योजना के अंतर्गत आकस्मिक व्यय के संघटक का तात्पर्य केवल उसी योजना के समग्र ढ़ांचे के अंतर्गत आकस्मिक व्यय है तथा मुख्य योजना को विकृत करने हेतु इसे संकुचित नहीं किया जा सकता।

मामला मा.सं.वि.मं. को फरवरी 2013 में सूचित किया गया था; मई 2013 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली एवं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

5.4 जल प्रभारों पर छूट का दावा न किया जाना

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली एवं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय मौजूदा वर्षा जल संचयन प्रणाली पर ₹ 1.44 करोड़ की राशि पर 10 *प्रतिशत* की छूट का लाभ उठाने में विफल रहे।

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) ने जनवरी 2010 से प्रभावी, दिल्ली में जल प्रशुल्क हेतु अपनी अधिसूचना (दिसम्बर 2009) में, निर्दिष्ट किया कि सरकारी संस्थान, कार्यात्मक वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं की मौजूदगी के अध्यधीन, पानी के बिलों की कुल राशि पर 10 प्रतिशत छूट के पात्र होंगे।

(क) 2000 से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के अपने परिसर में 28 वर्षा जलसंचयन कुएं थे। लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2012) कि भा.प्रौ.सं., दिल्ली ने जनवरी 2010 से जुलाई 2012 तक के मासिक पानी के बिलों पर 10 *प्रतिशत* की छूट का दावा नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप दि.ज.बो. को ₹ 64.29 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, संस्थान ने दि.ज.बो. से मई 2012 तथा जून 2012 में भुगतान किए गए पानी के बिलों पर छूट की वापसी करने का अनुरोध किया। तदनुसार, दि.ज.बो. ने, भा.प्रौ.सं. दिल्ली का संयुक्त निरीक्षण संचालित किया (अगस्त 2012) और पाया कि कुछ वर्षा जल संचयन कुएं कार्यात्मक नहीं थे और संस्थान से उसके

छूट के दावे पर विचार करने से पहले वर्षा जल संचयन संरचनाओं का स्थान दर्शाते हुए विस्तृत आरेखण प्रस्तुत करने को कहा (अक्तूबर 2012)। प्रबंधन ने दि.ज.बो. से भा.प्रौ.सं. फिर से आने को कहा। इस विषय में प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2013)।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2012 में भेजा गया था; उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतीक्षित था।

(ख) इसी प्रकार, 2005 से, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) के अपने परिसर में आठ वर्षा जल संचयन प्रणालियां कार्यात्मक थीं तथा वह अपने मासिक पानी के बिलों पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ पाने का पात्र था। लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2011) कि विश्वविद्यालय ने जनवरी 2010 से सितम्बर 2011 के दौरान मासिक पानी के बिलों पर छूट का लाभ नहीं उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 80 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। नवम्बर 2011 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी होने के पश्चात विश्वविद्यालय ने मुद्दा दि.ज.बो. के समक्ष उठाया। दि.ज.बो. जून 2011 से छूट के लिए सहमत हो गया, और विश्वविद्यालय को पहले की अवधि से संबंधित छूट के लिए वर्षा जल संचयन प्रणालियों के संस्थापन की वास्तविक तिथि के प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2013) कि पहले से ही भुगतान की गई अतिरिक्त अधिक राशि की वापसी के लिए विश्वविद्यालय ने दि.ज.बो. के समक्ष मुद्दा उठाया था।

विश्व भारती

5.5 ब्याज की हानि

विश्व भारती द्वारा अव्ययित अनुदान की वापसी न करने एवं ब्याज अर्जित करने वाली अवधि जमा में निवेश ना करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ के ब्याज की हानि हुई थी।

विश्व भारती (विश्वविद्यालय) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) से योजनागत अनुदान प्राप्त करता है। योजनागत अनुदान की संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार, वित्तीय वर्ष जिसमें अनुदान वितरित किया गया था की समाप्ति पर वि.अ.आ. के उपयोगिकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना होता है। विश्वविद्यालय अतिरिक्त/ अव्ययित अनुदानों को भी, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ब्याज वाली अवधि जमा में निवेश करता है।

विश्वविद्यालय ने विभिन्न योजना गतिविधियों के लिए वि.अ.आ. से 1997-98 से 2001-02 की अवधि के दौरान 9वें योजनागत विकास अनुदान के रूप में ₹ 11.68 करोड़ प्राप्त किए जिनको 31.03.2002 तक व्यय किया जाना था। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण विरासत वाली विभिन्न विश्वविद्यालय इमारतों के नवीकरण हेतु तथा अध्ययन एवं अनुसंधान में सहायता देने वाली बेहतर सुविधाओं के सृजन हेतु मार्च 1999 में वि.अ.आ. से ₹ 1.00 करोड़ का विशेष अनुदान भी प्राप्त किया था।

वि.अ.आ. ने 9वीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय को जारी किए गए विकास अनुदान की उपयोगिता हेतु समय सीमा को मार्च 2004 तक बढ़ाने का निर्णय लाया था (मई 2002)। हालांकि, विशेष अनुदान की उपयोगिता की अवधि नहीं बढ़ाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, विश्वविद्यालय ने मार्च 2005 तक ₹ 12.68 करोड़ कुल योजना/विशेष अनुदान में से ₹ 10.01 करोड़ का उपयोग किया था। ₹ 2.67 करोड़ की शेष अव्ययित राशि की न तो वि.अ.आ. को वापसी की गई थी ओर न ही उसे ब्याज वाले अवधि जमा में निवेश किया गया था, और अप्रैल 2005 से मार्च 2012 तक चालू खाते में रखी गई थी। दोनों मामलों में आधिक्य राशि को निवेशित न किए जाने के कारण न तो अभिलेख में पाए गए थे और ना ही विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट किए गए थे।

वि.अ.आ. को वापसी न किए जाने के कारण अतिरिक्त निधियों के निवेश न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ की राशि के ब्याज की संभावित हानि हुई यदि उस राशि का प्रचलित दरों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की अवधि जमा में निवेश किया गया होता।

नवम्बर 2011 में विश्वविद्यालय ने बताया कि यद्यपि विश्वविद्यालय ने वि.अ.आ. से फरवरी 2004 में आगे की अवधि के लिए अव्ययित राशि की उपयोगिता की अवधि को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था, वि.अ.आ. से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी तथा निधि को रख लिया गया था। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि उन्होंने अब अव्ययित शेष की वापसी करने का निर्णय ले लिया गया है।

यह उत्तर लेखापरीक्षा की इस चिंता को स्पष्ट नहीं करता था कि विश्वविद्यालय ने न तो अनुप्रयुक्त अनुदान की वापसी की थी और न ही विवेकपूर्ण वित्तीय प्रस्तावना की अनुरूपता में निवेश किया गया था।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2011 में प्रेषित कर दिया गया था; उनका उत्तर जून 2012 तक प्रतीक्षित था।